प्रेस नोट

13.09.2022

एक शातिर साइबर ठग गिरफ्तार, कब्जे से फ्राड में प्रयुक्त एक कीपैड मोबाइल फोन, 02 अन्य एन्ड्रोइड मोबाइल फोन व एक मोटरसाइकिल बरामद, –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में साबइर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.09.2022 को एसओजी टीम, साइबर सेल व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बढुआ गोदाम बनदेवी तिराहे के पास से **दीपक कुमार मिश्रा पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा निवासी बाबुराम का पुरा पनिहरा थाना राजातालाब जनपद वाराणसी** को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि वादी श्री विजय कुमार द्वारा थाना सरायलखंसी पर प्रार्थनापत्र दिया गया गया था कि उनके द्वारा आईसीआईसीआई बैक मिर्जाहादीपुरा से 10 लाख रूपये लोन के लिए आवेदन किया गया था जो उनको प्राप्त हो गये, आवेदन के समय उनके द्वारा सम्पूर्ण जानकरी जैसे पेन कार्ड, आधार आदि को बैक को दिया गया था, लोन प्राप्त होने के कुछ दिन बाद आवेदक के फोन पर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बार बार फोन आने लगा जबकि आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड लेने से मना किया गया। कुछ दिन बाद आवेदक को अपने बैक आईसीआईसीआई बैक मिर्जाहादीपुरा से ज्ञात हुआ कि उसको अपने क्रेडिट कार्ड जो एक बार 7082 रूपया और 73 हजार रूपया पेमेन्ट करना है। जबकि आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड नही लिया गया था। उक्त सूचना पर साइबर सेल मऊ द्वारा बैक में जाकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त क्रेडिट कार्ड ब्लूडार्ट कोरियर कम्पनी के माध्यम से आवेदक के पास ओटीपी से वेरिफिकेशन कर दिया गया है जब कोरियर कम्पनी से उक्त ओटीपी वाले फोन नम्बर का ब्योरा मांगा गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त नम्बर आवेदक का है ही नही।

मोबाइल नम्बर की जब गहनता से जांच हुआ तो पता चला कि उक्त मोबाइल नम्बर दीपक कुमार मिश्रा का है जो आईसीआईसीआई बैक भदोही मे सीनियर सेल्स इग्जेक्टीव के पद पर कार्यरत है। उक्त अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि रिजनल बैक हेड द्वारा लोन लिये गये व्यक्तियों का पूरा डेटा मोबाइल नम्बर सहित हमारे पास आता है जिससे हम लोग आवेदक से वार्ता कर क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करते है। मैने एक फर्जी सीम लेकर एक कीपैड मोबाइल के माध्यम से दूसरे शाखा के एक अन्य कर्मचारी को भ्रम मे डालकर उसके आइडी से क्रेडिट कार्ड को बनवाया था तथा आवेदक के फोन नम्बर को हटाकर अपने फर्जी फोन नम्बर को जोड दिया गया था। जिससे क्रेडिट कार्ड आवेदक के मोबाइल नम्बर पर न प्राप्त होकर मुझे प्राप्त हो गया। जिससे मै दो स्थानों से कुल 82 हजार रूपये निकाल लिया।

जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त माह मई में गॉव हथिनी थाना सरायलखंसी आया था जहा शिवशंकर यादव और श्यामनारायण मौर्या जो आईसीआईसीआई बैक द्वारा लोन लिये थे। उनको भ्रम में डालकर, किस्त समय से न कटने की बात कर उनसे भी नगद रूप से 62700 रूपया प्राप्त कर लिया था।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायलखंसी पर मु0अ0सं0 497/22 धारा 419,420 भादवि0 व धारा 66 सी आईटी एक्ट व थाना हलधरपुर पर मु0अ0सं0 305/ धारा 419,420 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. दीपक कुमार मिश्रा पुत्र अवधेश कुमार मिश्रा निवासी बाबुराम का पुरा पनिहरा थाना राजातालाब जनपद वाराणसी।

बरामदगी–

1. घटना में प्रयुक्त एक कीपैड मोबाइल फोन।
2. 2 अन्य मोबाइल फोन।
3. एक मोटरसाइकिल सूपर स्प्लेण्डर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक रविन्द्र नाथ राय हमराह उ0नि0 श्री राजेश कुमार वर्मा, हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह, हे0का0 सुधीर कुमार यादव **थाना सरायलखंसी।**

हे0का0 रितेश राय, हे0का0 विकाश यादव, का0 कमलेश कुमार ठाकुर, का0 सुशील यादव **एसओजी टीम मऊ।**
आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कनौजिया, आरक्षी अनूप कुमार, आरक्षी प्रभात कुमार **साइबर सेल मऊ।**

चार शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 10 राशि मवेशी (भैस) बरामद–
आज दिनांक 13.09.2022 को जनपद के विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा काछीकला ओवरब्रीज के पास से मु0अ0सं0 226/22 धारा 379 भादवि0 में सम्बन्धित एक राशि भैस बरामद कर अभियुक्त विधिचन्द्र यादव पुत्र स्व0 जगधारी यादव निवासी लीलारी भरौली थाना कोपगंज को गिरफ्तार किया गया। तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान खालसा कानून गोयानचक से सतेन्द्र पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी पठानटोला, अकिल फैसल पुत्र वकील अहमद निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली के कब्जे से चोरी की 5 राशि भैस बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा तालीमुद्दीन इन्टर कालेज के पास से मो0 निजाम पुत्र हाजी अब्दुल सलाम निवासी पठानटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 04 अदद भैस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435,436/22 धारा 411,414, भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–
आज दिनांक 13.09.2022 को मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान भातकोल मोड़ से मु0अ0सं0 523/22 धारा 376,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त हरिवंस उर्फ बंसराव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी प्यारेपुरा थाना घोसी तथा रेलवे स्टेशन मुहम्मदाबाद के पास से मु0अ0सं0 478/22 धारा 366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त नितिन पुत्र मंगरू राम निवासी राजापुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति तथा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–
आज दिनांक 13.09.2022 को जनपद के विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा प्रभुनाथ, नितेश, धीरज, चन्द्रभान, रविन्द्र विनोद निवासीगण कमथरी नूरपुर, मून्ना, बालगोविन्द, केशल, पिन्टू, राजेश निवासी करमी थ्ज्ञाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा राजकुमार, रामउग्रह थाना महावलपुर थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा रामायन यादव निवासी चमरियाँव, रामप्रसाद, गुड़िया, राजबली, योगेश उर्फ़ फुल्लर, बर्फी देवी, मेनका निवासीगण रामपुर थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा सुनिल कुमार, विक्रान्ता निवासीगण भरथिया कादीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा वारंटी अभियुक्तगण थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा रामजतन उर्फ बैजू पुत्र फूलचन्द्र निवासी हुसैनाबाद थाना चिरैयाकोट, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी शहंसाह पुत्र मूर्तजा निवासी वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।